PAPER-III
HUMAN RIGHTS AND DUTIES

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) __________________________
   (Name) ____________________________
2. (Signature) __________________________
   (Name) ____________________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No.________________________________

(In words)

D	9	2	1	0

Time : 2 $^1/_2$ hours] [Maximum Marks : **200**

Number of Pages in this Booklet : **32** Number of Questions in this Booklet : **19**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc., is prohibited.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
   (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
8. केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पेन का ही इस्तेमाल करें ।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।

HUMAN RIGHTS AND DUTIES
मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य

PAPER – III
प्रश्नपत्र – III

Note : This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग से दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION – I
खंड – I

Note : This section consists of **two** essay type questions of **twenty (20)** marks, each to be answered in about **five hundred (500)** words each. **(2 × 20 = 40 marks)**

नोट : इस खंड में **बीस-बीस** (20) अंकों के **दो** निबन्धात्मक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर लगभग **पाँच सौ** (500) शब्दों में अपेक्षित है । **(2 × 20 = 40 अंक)**

1. Discuss the liberal perspective of human rights developed by A.V. Dicey.
ए.वी. डाइसी द्वारा विकसित मानवाधिकारों के उदार परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिये ।

OR/अथवा

Discuss the features of the American Bill of Rights.
अधिकारों के अमेरिकन बिल की विवेचना कीजिये ।

OR/अथवा

Discuss the social, political and economic dimensions of human rights.
मानवाधिकारों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों की विवेचना कीजिये ।

2. Write an essay on the UN Commission on Human Rights.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग पर निबन्ध लिखें ।

OR/अथवा

Discuss the constitutional governance of the prohibition of discrimination in India.
भारत में भेदभाव निषेध के संवैधानिक शासन की विवेचना करें ।

OR/अथवा

Discuss the main features of the development of 'Custodial Jurisprudence' in India.
भारत में 'अभिरक्षणीय न्यायशास्त्र' के विकास की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें ।

SECTION – II
खंड – II

Note : This section contains **three (3)** questions of **fifteen (15)** marks each, each to be answered in about **three hundred (300)** words. **(3 × 15 = 45 marks)**

नोट : इस खंड में **पन्द्रह-पन्द्रह** (15) अंकों के **तीन** (3) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीन सौ** (300) शब्दों में अपेक्षित है । **(3 × 15 = 45 अंक)**

3. How does International Labour Organization contribute to the prevention of forced labour ?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात् श्रम की रोकथाम में किस प्रकार योगदान देता है ?

4. Draw the relations between the human rights law and the international humanitarian law.
मानवाधिकार विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि के बीच सम्बन्धों का निर्धारण करें ।

5. Discuss malnutrition as an issue of human rights of the child.
बाल मानवाधिकारों के मुद्दे के रूप में कुपोषण की विवेचना करें ।

SECTION – III
खंड – III

Note : This section contains **nine (9)** questions of **ten (10)** marks each, each to be answered in about **fifty (50)** words. **(9 × 10 = 90 marks)**

नोट : इस खंड में **दस-दस** (10-10) अंकों के **नौ** (9) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **पचास** (50) शब्दों में अपेक्षित है । **(9 × 10 = 90 अंक)**

6. Discuss the nature of the Universal Declaration of Human Rights, 1948.
मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा, 1948 के स्वरूप की विवेचना करें ।

7. What is meant by 'domestic violence' ?
'घरेलू हिंसा' का क्या अर्थ है ?

8. Discuss the main features of Vienna Conference, 1993.
वियेना कॉन्फेरेन्स, 1993 की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें ।

9. Discuss the concept of 'Universal Jurisdiction' incorporated in the European Convention of Human Rights.
मानवाधिकारों के यूरोपियन अभिसमय में निगमित 'सार्वत्रिक क्षेत्राधिकार' की अवधारणा की विवेचना कीजिये ।

10. Discuss the impact of World Trade Organization on human rights.
मानवाधिकारों पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विवेचना करें ।

11. Define the term 'Untouchability'.
'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या करें ।

12. Explain the terms ‘equality before the law’ and ‘equal protection of law’.
उपवाक्यों ‘विधि के समक्ष समता’ और ‘विधि का समान संरक्षण’ की व्याख्या करें ।

13. Discuss the implementation of the rights, which cannot be suspended during national emergency.
राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के दौरान जिन अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित नहीं किया जा सकता है उनकी विवेचना करें ।

14. What do you mean by 'sustainable development' ?
"धारणीय (दीर्घोपयोगी) विकास" से आप क्या समझते हैं ?

SECTION – IV
खंड – IV

Note : This section contains **five (5)** questions of **five (5)** marks each based on the following passage. Each question should be answered in about **thirty (30)** words.

(5 × 5 = 25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित **पाँच** (5) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस** (30) शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच** (5) अंकों का है । **(5 × 5 = 25 अंक)**

CEDAW, contains six parts and thirty articles, with a clear focus on elevating the status of women to that of men in the area of human rights. In CEDAW's opening statements, States ratifying or acceding to this convention acknowledge that the Universal Declaration of Human Rights and subsequent international covenants all aim to eliminate discrimination on the basis of gender. However, concerns exist that "despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist" and "in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs". State party to CEDAW are convinced that the "full and complete development of a country, the welfare of the world, and the cause of peace require the maximum participation of

women on equal terms with men in all fields". States bear in mind "the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized." States also bear in mind the "social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children". States are "aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole." States are aware that " a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women." States party to CEDAW then agree to adopt measures required for the elimination of gender discrimination in all its "forms and manifestations".

Any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women irrespective of marital status, are a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field falls in the category of unreasonable classification. Such practice has to be discouraged.

मानवाधिकारों के क्षेत्र में स्त्रियों के दर्जे को पुरुषों के दर्जे तक उठाने पर स्पष्ट फोकस के साथ, सीडॉ के छः भाग और तीस अनुच्छेद हैं । सीडॉ के प्रारम्भिक कथन में, इस अभिसमय का अनुसमर्थन या मान लेने वाले राष्ट्र स्वीकार करते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा और उत्तरवर्त्ती प्रसंविदाएँ सभी लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य करते हैं । तथापि, चिन्ताएँ विद्यमान हैं कि "इन विभिन्न लिखतों के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध व्यापक भेदभाव निरन्तर विद्यमान है" और निर्धनता की स्थितियों में, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार एवं अन्य आवश्यकताओं के लिये अवसरों तक स्त्रियों की पहुँच अत्यन्त कम होती है । सीडॉ के पक्षकार राष्ट्रों को पूरा विश्वास हो गया है कि देश का पूरा और सम्पूर्ण विकास, विश्व का कल्याण और शान्ति के उद्देश्य के लिये सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान शर्तों पर स्त्रियों की अधिकतम सहभागिता आवश्यक है । राष्ट्रों को ध्यान है कि परिवार के कल्याण और समाज के विकास में स्त्रियों के महान योगदान को अभी तक पूर्णतया मान्यता नहीं मिली है । राष्ट्र अभी भी मातृत्व के सामाजिक महत्त्व और परिवार में और बच्चों के लालन-पालन में दोनों अभिभावकों की भूमिका को मानते हैं । राष्ट्र इस बात से जागरूक है कि प्रजनन में महिलाओं की भूमिका भेदभाव का आधार नहीं होना चाहिये, परन्तु यह कि बच्चों के पालन-पोषण के लिये उत्तरदायित्व को पुरुषों और स्त्रियों और सम्पूर्ण समाज के बीच बांटे जाने की जरूरत है । राष्ट्र जानते हैं कि पुरुषों की पारम्परिक भूमिका में परिवर्तन और साथ ही साथ समाज और परिवार में स्त्रियों की भूमिका को पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता प्राप्त करने की ज़रूरत है । तो सीडॉ के पक्षकार राष्ट्र लिंगीय भेदभावों को उसके समस्त रूपों और आविर्भावों में समाप्त करने के लिये अपेक्षित उपाय अपनाने के लिये सहमत हैं ।

लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, अलगाव या प्रतिबंध जिसका प्रभाव अथवा उद्देश्य, स्त्रियों की वैवाहिक स्थिति का ध्यान किये बिना, पुरुष और स्त्रियों की समानता के आधार पर, मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में मौलिक स्वतन्त्रताओं का स्त्रियों द्वारा बर्तना, या आनन्द या मान्यता देने को नुकसान पहुँचाना या समाप्त करना है, तो यह अविवेकपूर्ण वर्गीकरण है और ऐसी प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिये ।

15. Mention the motto of the “CEDAW”.
सीडॉ का आदर्श वाक्य बताइये ।

16. What should be the bare and basic rights of women ?
महिलाओं के सुस्पष्ट और मौलिक अधिकार क्या होने चाहिये ?

17. How can a true family welfare and development ensured in a society ?
किस प्रकार समाज में यथार्थ पारिवारिक कल्याण और विकास सुनिश्चित किया जा सकता है ?

18. What is necessary for the purpose of ensuring all round development of children ?
बच्चों का सर्वतोमुखी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु क्या आवश्यक है ?

19. What do you mean by discrimination against women ?
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव से आप क्या समझते हैं ?

Space For Rough Work

FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Total Marks Obtained (in words) ....

(in figures) ....

Signature & Name of the Coordinator ....

(Evaluation) Date ....